

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
अधिसूचना

दिनांक 18.10.17

संख्या - 16/से0गा0अ0-01-05/2013 (खण्ड-2) का-10780 / झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा-3 के साथ पठित विभागीय अधिसूचना संख्या 10092 दिनांक 22.09.2017 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित विभाग की 02 सेवाओं के सम्बन्ध में नाम निर्दिष्ट पदाधिकारियों, प्रथम अपील प्राधिकारों, द्वितीय अपील प्राधिकारों तथा नियत समय-सीमाओं को निम्नरूपेण अधिसूचित किया जाता है :-

क्र०	प्रशासी विभाग का नाम	प्रदायी सेवा का नाम	नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी	नियत समय सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु नियम समय सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु नियम समय-सीमा
1	परिवहन विभाग	वाहन परमिट (राज्य परिवहन प्राधिकार)	संयुक्त परिवहन आयुक्त	120 कार्य दिवस	राज्य परिवहन आयुक्त	15 कार्य दिवस	सचिव/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग	15 कार्य दिवस
2		वाहन परमिट (क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार)	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	60 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस	राज्य परिवहन आयुक्त	15 कार्य दिवस

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(निधि खरे) 18/10/17

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-16/से0गा0अ0-01-05/2013 (खण्ड-2) का0-10780 / राँची, दिनांक- 18.10.17
प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-16/से0गा0अ0-01-05/2013 (खण्ड-2) का0-10780 / राँची, दिनांक- 18.10.17
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/ स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कार्यालय/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव